न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 197/2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. श्रवण सिंह पुत्र स्व0 प्रेमसिंह निवासी– नाथडाउ, तहसील सेखाला जोधपुर।		1. तहसीलदार, सेखाला जोधपुर। 2. नरपत सिंह पुत्र राजसिंह 3. दलपतसिंह पुत्र लालसिंह 4. कोजराज सिंह पुत्र रतनसिंह 5. पूंजराजसिंह पुत्र रतन सिंह 6. भैरूसिंह पुत्र प्रेमसिंह 7. जगमालसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 8. जितेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह 9. गोपालसिंह पुत्र रतनसिंह निवासी– रूपनगर, तहसील सेखाला।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध आदेष दिनांक 01.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त ग्राम रूपनगर में पारित किया गया।

उपस्थिती:––

1. श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2021 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त ग्राम रूपनगर में निर्णय दिनांक 01.04.2021 के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.11..2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने की दिनांक को रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 की ओर से श्री पूनाराम अधिवक्ता द्वारा केविएट पेश किया तथा अपील प्रकरण में सुनवाई दिनांक 03.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केवएट अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में इंगित किया कि अपीलान्ट भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें भी अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। दोनों अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन करने के उपरान्त एवं न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने की अनुमति देना उचित मानते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा केविएटर प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणों को रेस्पोडेन्ट के रूप में अपील में संस्थित किया जाता है। तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश पर दोनों अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस को सुना गया।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के द्वारा धारा 131, 132 व 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपीलाधीन आदेश पारित करने में गैर कानूनी व विधि विरूद्ध रेकार्ड पर आये तथ्यों क विपरित एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया जो निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये मनमाने तौर से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किया गया है।

4. इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी को किसी की खातेदारी भूमि की किस्म को परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ख0सं0 159 की रकबा 43 बीघा 3 बिस्वा भूमि का सहखातेदार है, उसमें से 01 बीघा 9 बिस्वा भूमि को रास्ता दर्ज किये जाने से पूर्व किसी प्रकार की सहमती नहीं ली गई। उक्त खसरे की भूमि कृषि फार्म हाउस के रूप में बनी हुई है। तथा चारो तरफ चारबन्दी की हुई है। मौके पर किसी प्रकार से आमजन के लिये आने जाने का रास्ता बना हुआ नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में की है। तहसीलदार सेखाला में इस बाबत किसी प्रकार से जानकारी नहीं ली गई है और बिना मौका देखे ही और बिना सुने ही एवं मौका दिये बिना हीं अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त सभी प्रकार की कार्यवाही एक ही दिन में एक ही सीान पर बैठकर दुर्भावनापूर्ण तरीके

से उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई है। जिसकी शिकायत भी जिला कलेक्टर जोधपुर को की गई तथा जिला कलेक्टर जोधपुर को इस बाबत उनसे वस्तुस्थिति रिपोर्ट मांगने बाबत पत्र जारी भी किया था उसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है जिसे निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में धारा 132 व 136 का अवलोकन कराया एवं एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 1779/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.0.1.2016 की प्रति प्रस्तुत की।

5. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उससे प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस प्रभावित व पीडित पक्ष है तथा जिन खसरो बाबत रास्ते का आदेश पारित किया गया है उसमें रेकर्डेड खातेदार है। जिस कारण से उनके द्वारा केविएट पेश किया गया एवं किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सुने जाने हेतु निवेदन किया है। ग्राम रूपनगर नाथडाउ के हम पक्षकारान की खातेदारी के खेत खसरान संख्या 159/1, 159, 158, 158/1, 158/2, 157, 156, 150, 150/6, 150/7, 148 एवं 146 भूमि में आवागमन के रूप मे ंचल रहे रास्ते को मौके पर रास्ता के चालू हालत में होने तथा बाहरमासी मार्ग होने के आधार पर उसे राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने बाबत तहसीलदार सेखाला की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के प्रशासन गांवा के संग अभियान के कैम्प–देवातू में पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर राज्स सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 जिसके द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बाहरमासी रास्ते ग्रेवल सडक/जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते में सडक के रूप में अभिलिखित नहीं है, और मौके पर मौजूद है उनको राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के प्रावधान निर्धारित किये जाने के आधार पर उपरोक्त खसरान की वर्णित भूमि को जिस पर विधुत विभाग, विध्यालय, आगंनवाडी केन्द्र, जन स्वा0 अभि0 विभाग की टयूबवेल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थित होने को आधार मानते हुए उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही अपीलाधीन आदेश के जरिये की गई है जो विधि अनुकूल है।

6. इसके अतिरक्त हम पक्षकारान की सहमति से ही उपरोक्त वर्णित खसरान भूमि में से चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि ख0सं0 158 के खातेदारों के अतिरिक्त अन्य खसरो के खातेदार सहमत है तथा उनके द्वारा ही यह अनुरोध किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्रामीणों की सहुलियत को देखते हुए ही मोके पर चल रहे उक्त बाहरमासी मार्ग को राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश पारित किया है जो उचित होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील सारहीन होने एवं आधारहीन होने से खारिज की जावें।

7. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित खसरा संख्या 159 की रकबा 43 बीघा 3 बिस्वा भूमि के सह खातेदार है जिन्हें उनकी खातेदारी भूमि में से कुछ भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है।

8. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में प्रकरण में अंकित खसरान भूमि के सभी प्रभावित पक्षों की उपस्थिति तथा समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालेसर को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में रकबा भूमि के खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक   नवम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर